## WWW.INDIANEXPRESS.COM

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024



DETAILS OF AMOUNT IN THE

RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST

Simple interest for KCC from 24.12.2021

to 15.06.2023 @ 10.60% on Rs. Simple interest for KCC From 24.12.2021 to 15.06.2023 @ 14.85% on Rs.

Amount of Recover

Cost awarded by Hon'Ble DRT

Total Recovery

to 15.06.202

if any

Seal

Particulars Amount in INR Amount as per Rs. 32,73,121/- 8 Recovery Certificate Rs. 25,993/-

Rs. 5,12,346,56/

Rs. 5700.05

Rs. 8.50.000/

Rs. 36360/-

Recovery Officer-1 Debt Recovery Tribunal, Jaipu

Rs. 30.03.521.06

(BA)

Muthoot Homefin

Place: Rajasthar

has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section 4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower ttention is invited to provisions of sub -section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGCL for an amount as mentioned herein under with interest thereon

Date : February 29, 2024

Authorized Officer

disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iw) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and denotify use has proceed in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registra** on <u>06.03.2024</u> at 10:30 AM failing which the on <u>bs.05.2024</u> at 10:30 AW raining which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date **24.11.2023**. Seal <u>Debts Recovery Tribunal</u>, Jaipur

Form No. 3 [ See Regulation-15 (1)(a) ] / 16(3) ] **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR** Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Center, Tonk Road, Jaipur-30201 Case No.: 0A/1171/2023 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rul 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993. Exh. No.: 11009 **STATE BANK OF INDIA** SHRI NIMA RAM IO, (1) SHRI NIMA RAM D/W/S/O- BHOJA RAM WARD NO. 3, VILLAGE DHANSIYA, TEHSIL NOHAR, Hanumangarh, RAJASTHAN-335523 SUMMONS WHEREAS, **OA/1171/2023** was listed before Hon'ble Presiding **Officer/Registrar** or 12.10.2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 26766452 (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief praved for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the priginal application without the prior proval of the Tribunal. **(v)** You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over uch assets ou are also directed to file the written such assets. statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on <u>27.03.2024</u> at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in your Given under my hand and the seal of this ribunal on this date 11.12.2023.

Assistant Registrar Debts Recovery Tribunal, Jair

(Seal)

Form No. 3 [ See Regulation-15 (1)(a) ] / 16(3) ] DEBTS RECOVERY TRIBUNAL. JAIPUR First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis pping Center. Tonk Road, Jaipur-30201 Case No.: 0A/1253/2023 Summons under sub-section (4) of sectio 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rul 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure Exh. No.: 10963 STATE BANK OF INDIA VS SMT. JASVINDER KAUR (1) SMT. JASVINDER KAUR D/W/S/O - W/O LATE SH. GURCHARAN SINGH, VILLAGE 50F, VPO ROOP NAGAR, TEHSIL SRI KARANPUR, laipur, RAJASTHAN - 335073 (2) SH. JAGRAT SINGH S/O LATE SH GURCHARAN SINGH RESIDENT OF 50F. VPG GORCHARAN SINGH RESIDENT OF SOF, VH ROOP NAGAR, TEHSIL SRI KARANPUF GANGANAGAR, RAJASTHAN-335073 SUMMONS WHEREAS, OA/1253/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar or WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 339802.70** (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-(1) to show cause within thirty days of the directed as under: (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of bisiness and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. (i) to show cause within thirty days of the

You are also directed to file the writte statement with a copy thereof furnished t the applicant and to appear before **Registra** on <u>07.03.2024</u> at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in you this Tribunal on this date 04.12.2023.

Assistant Registrar Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Seal)

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount						
(Loan Account No. LNMEJAP000097656 of our Jaipur Branch) Hansraj Gurjar S/o Sh. Gukal Ram (Borrower) Shyau Ratan Gurjar S/o Sh. Gokul Ram Gurjar,Mrs. Sona Devi W/o	All that Piece and parcel of land and building warehouse constructed on land bearing Khasra No. 66/1, area admeasuring 11,600 Sq. Mts, Khata No. 513 (New), Khata No. 480 (Old), Patwari Halka and Village Gahnouli, Gajipur, Tehsil Mahwa, Dausa, Rajasthan - 321608, Bounded As: East: Property of Mr. Janak Singh, North: Property of Mr. Ram KhiladiM West: Khasra No. 62, then State Highway, South: Property of Mr. Janak Singh and Mr. Ramjilal							
Sh. Hansraj,Dalveer Singh Gurjar S/o Sh. Hansraj Gurjar,Mrs. Kripa Devi W/o Sh. Shivratan, M/s Hansraj Gurjar(Through its Proprietor) (Co-Borrower)								
Place: JAIPUR Date : 29-FEB-2024	Place: JAIPUR Date: 29-FEB-2024 Sd/- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited (CGCL)							

Muthoot Homefin (India) Ltd.

## pati Bapat Marg, 400 <u>028</u>

## **DEMAND NOTICE**

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interes Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The undersigned is the Authorised Officer of Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under Securitisation And Reconstruction Oi Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower/s (the "said Borrower"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s issued to them that are also given below.

In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower to pay to MHIL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest at 2% p.m. as detailed in the said Demand Notices, from the dates mentioned below till the date of payment and/or realization, payable unde the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrowers. As security for due ent of the loan, the following assets have been portgaged to MHIL by the said Borroy

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor/ Loan Account No./Branch	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Description of secured asset (immovable property)
1.	Praveen Khatri/ Ranjana Kumari Malhotra/ 012-0000017 & 012-00000018/ Alwar	Rs. 14,83,509/- & Rs. 10,30,534/- (Rupees Fourteen Lakh Eighty Three Thousand Five Hundred Nine Only. & Rupees Ten Lakh Thirty Thousand Five Hundred Thirty Four Only.)	23-Feb- 2024	Flat No. 44, 2nd Floor, Palash Bldg., A.G.S. Greens, Near Telco Circle, Alwar, Rajsthan- 301001 On The Bounded By: North: Open to G. F., South: Corridor Than Flat No. 41, East: Open to G.F., West: Flat No. 43
2.	Raj Kumar Soni/ Laxmi Soni/ 006-00601291/ Jaipur	Rs. 8,60,054/- (Rupees Eight Lakh Sixty Thousand Fifty Four Only.)	23-Feb- 2024	Plot No. 21, Shri Ji Vatika, Nyla Road, Jaisingapura khor, Nr. Om Mandir Rajsthan Jaipur- 302021 on the bounded by: North: P. No. 22, South: P. No. 20, East: Road 20 Feet, West: P. No. 32
3.	Chauthmal Prajapat/ Lalata/ 015-00000099/ Kota	Rs. 4,52,794/- (Rupees Four Lakh Fifty Two Thousand Seven Hundred Ninety Four Only.)	23-Feb- 2024	Property Situated at Part of Land Khasra No. 195, Village Bajar, Nr. Govt. School Gram Panchayat Bajar, Dist. Bundi, Raj 323021 on The Bounded By: North: Road, South: Balchand S/o Chaturbhuj Prajapat, East: Devishankar S/o Andi Lal Meena, West: Dinesh S/o Modu Lal Prajapat
4.	Radheyshyam Gurjar/ Mema Devi/ 024-02400773/ Bhilwara	Rs. 6,61,172/- (Rupees Six Lakh Sixty One Thousand One Hundred Seventy Two Only.)	23-Feb- 2024	Patta No.46, Opp. Govt. School, Village Nanakpura, Gram Panchayat Dhuwala, Panchayat Samiti Mandal, Dist. Bhilwara, Raj- 311403 on The Bounded By: North: Ram Lal Gujar, South: Rasta, East: Rampal/ Ugma, West: Ganga

The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease o otherwise without the prior written consent of MHIL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Date: February 29, 2024

Sd/-Authorized Officer Muthoot Homefin (India) Limited

कार्यालय वसूली अधिकारी–द्वितीय (प्रमाणपत्रधार्र नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट 15.02.2024 बैंक द्वारा) ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा- । ।, किसान भवन के सामने, (प्रमाणपत्रधार्र लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) नोटिस मौके पर 22.02.202 बैंक द्वारा) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) (नोड़ल फार्म संख्या 13 सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि 20.03.2024 अधिकारी द्वारा) (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत) अमानत राशि जमा कराये जाने वसूली प्रमाण पत्र संख्या : 805/2022 का प्रमाण, पेनकार्ड की प्रकरण का उनवान : सत्यापित प्रतिनिपी का प्रमाण नीलामी सेवा तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे 22.03.2024 प्रदाता 3 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थ सांय तक है। की ओर से बोली में भाग ले बनाम रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे रामुराम नीलामी सेवा नीलामी 27.03.2024 <u>विक्रय की उद्घोषणा</u>

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 805/2022 जो कि मूल आवेदन संख्या 12/2022 में दिनांक 17.11.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि रुपये 34,19,674/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खच सहित वसल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि वसूली प्रमाण पत्र संख्या 805/2022 के अनुसार दिनांक 17.02.2023 तक व्याज, वाद व्याय वे ख्यो सहित कुल राशि रुपये 39,02,910/- एवं भविष्य का व्याज इसके अतिरिक्त अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के भी बकाया है। एलद्द्वार यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपश्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय मैसर्स सी 1 इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड- के द्वारा ऑनलाइन

नीलामी के जरिये www.bankeauctions.com के माध्यम से दिनों के 27.03.2024 को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक किया जायेगा। यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की संपत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी रिथति में है' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी रिथति में है' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये हूँ, द प्रत्यक लाट के सामन अनुपूर्धिय ना वानादेष्ट हैं। संपात का विक्रय के हि जसा। स्थात में ह के आधार पर किया जावना। सम्पत्त को विक्रय अनुपूर्खा ना दिव भव लाटे के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक माम के विक्रय से वस्तुली साशे सन्युष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरूप वो जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि बता शेष सहित अधेहसारक दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि खाज सर्वा के सहित अधेहसारकों को अदा कर दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि खाज वर्ष के सिहत अधेहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर से नाई है तो किय रोक दीया जातेगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को रवया अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। लिसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्य अथवा अधिकृत प्रतिचित्रि के प्रसाण रहते है, के द्वारा किसी भी अप में इस सम्पत्ति के विक्रय ने बाल इत प्रश्नेय के तबव न अर्थव एवं अत्रार्थव के त जपना कराव्या नेपहने कर रहा है, के द्वारा किता ना लेग न इत्त तम्पति के जिस्म ने बाल न जयवा तन्म अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा। विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगा :

(1) सलग्न सूची में दिये गये विवरण आविक्रय हेंतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है के द्वारा किसी भी रुप से इस सम्पत्ति के विक्रय में बाली ग अथवा सम्पत्ति के अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जायेगा।

अवया उत्तभात के अप के प्रयोग ने गो नहा लिये जावगा। (2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य राशि रुपये 87.00 लाख मात्र तय किया गया है, जिससे कम मूल्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जावेगा। (3) सम्पत्ति की बोली 20,000/- के गुणांक में बढ़ाई जाएगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जावेगा। (4) इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर दर्णित वेबसाईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होग जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध रे / रे कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (६) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी- <u>एच.डी.एफ.सी. वैंक लि., सोडाला, जयपुर, राजस्थान</u> IFSC No. HDFC0001843 में संधारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जम्म कुराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलि्पी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता की ई-मेल आई.डी. delhi@c1india.com अथव वियोज भे यासे अस्य तिरंभ को लोग से बालो में मार्ग है हैं। अर्थु करने होने, जो के सेव प्रती को इनसे जाइ.अ. एटालाइटालाएटाला का Support@bankauctions.com पर भी भेज सकते हैं। (6) किसी भी लॉट के लिए खाँच बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बरादे कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं हैं। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त् हो जिसे प्राप्त करना अनुवित्त हो। (7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता, को आयुकर अधिनियम की विवेकाधीने होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (७) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूधि के प्रावधानों के अधीन क्रिय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (८) अवल सम्पनि के मासले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाते व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुप्त्त पर्ष्यवात् (दिषेष परिश्वित्यों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि घोरा हो को साथांगींत करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जा करवायी जायेगी अथवा विक्रय की सम्पूर्ण राशि को साथांगीजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जा करवायी जायेगी अथवा विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वासरा वसूली अधिकारी ऋण वस्तीजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो वैत्व रेवियर या अन्य अवकाश हो तो उसके प्रचात प्रथम कयातिय दिवस को रेसा किया जा सकेगा। उक्त अधीके भी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां वितर रवियर या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कयातिय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अधीके भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जांने पर सम्पत्ति वितर रवियर या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कयातिय विश्व को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अधीके भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जांने पर सम्पत्ति वितर विवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कायेति देवस सक जा सकेगा। उक्त अधीके भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जांने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्धोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। (७) ऐसी स्थिति में क्रेवा के उक्त सम्पत्ति या शारी के किसी भी भाग के विय में मंस्री अधिकार जल हो जायेगे। (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक देवरा इच्छुक बोतीदाता को सम्पत्ति के निश्रीश को उक्त सम्पत्ति या शारी के किसी भी भाग के विय में सभी अधिकार जल हो जायेगे। (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक देवरा इच्छुक बोतीदाता को सम्पत्ति वे जिये में प्रित की क्रे हो स्री आ खाक कु मार गुप्ता न्रेड का आधिकारी/रोवाया जरपुर से मोबाईल संख्या 800399479। पर सम्पत्ति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोतीदाता श्री आतेले न ला सकते है तो वे नोडल अधिकारी/रोवायायाता के माध्यम से नीतानी में भान ले सकते है। (12) प्रस्तावि तोतीतीता मेला हित्त कियाया प्री को सिरा ता ने सर्य की ने जे आधिकारी/रोवाप्रदाता के माध्यम तल, प्लॉट नं. 68, सेक्टर-44, गुडगांव, 122003 हरियाणा सम्पर्क मोबाईल नम्बर 8866682937/7291891124 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लॉम उठा सकते है ज विसाईट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अत्तिम तिथि 22.03.2024 को 3:00 बजे साय तक है। (14) ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता मैसर्स सी 1 इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय तीसरा तल, प्लॉट नं. 68, सेक्टर-44, गुडगांव, 122003 हरियाणा के द्वारा दिनूंक 27.03,2024 को प्रात: 11 बजे से सांय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नूलामी की राशि साय 3 बजे के उपरान्त 05 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा । (15) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा ।

## सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति या उसके किसी भी प्रकार विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकर्मी किसी भाग पर राजस्व जिसका सम्पत्ति के संबंध में आगे आय है एवं अन्य कोई ज्ञात हे भार का विवर जिसके लिए लॉट की संख्य जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है। सम्पत्ति विशिष्टियों जो कि इसके मुल् मल्यांक न किया गया है। उत्तरदायी है। एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। (1) (3) (4) (5) (2) Agriculture Land at Khasra No/ 1279 area admeasuring total land 6.330 Hectare Barani, Khasra No. 1334 area admeasuring total land 2.020 Hectare Barani, Khasra No. 1415 area admeasuring total land 12.650 Hectare Barani Total 21.500 Hectare at Jhaju Patwar Halka Jhaju, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner (Raj.) ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ऋण वसूली अधिकारी-प्रथम मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 14.02.2024 को जारी। ऋण वसली अधिकरण, जयपुर

Jaipur